दिल्ली विकास प्राधिकरण

राजनिवास, दिल्ली में 09 अक्टूबर 2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

इस बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरुन कपूर

सदस्य

1. श्री के विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2. श्री शैलेन्द्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

3. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
   सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी.

4. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक और
   विधान सभा, दिल्ली रा.रा. क्षेत्र में विपक्ष के नेता

5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री एस.के. बग्गा, विधायक

Scanned with CamScanner

7. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

8. श्री मनीष अग्रवाल
निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष रूप से आमंत्रित

1. श्रीमती रेणु शर्मा
अपर मुख्य सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

2. डॉ राजेश कुमार
प्रधान आयुक्त (आवास, पी.एम.ए.वाई., सी.डब्ल्यू.जी. एवं खेल)

3. श्री मनीष कुमार गुप्ता
प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा.

4 श्री श्रीपाल
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूदृश्य), दि.वि.प्रा.

5. श्री जी. नरेंद्र कुमार
प्रधान सचिव (एल एंड बी), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

6. श्रीमती वर्षा जोशी
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

7. श्री ज्ञानेश भारती
आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

Scanned with CamScanner

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल के प्रधान सचिव

2. श्रीमती चंचल यादव
   उपराज्यपाल के विशेष सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद संख्या 97/2019

राज निवास में 13.08.2019 और 17.09.2019 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ.2(2)2019/एमसी/डीडीए

i) दिनांक 13.08.2019 को हुई प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त और एजेंडा मद सं. 76/2019 के संबंध में शुद्धिपत्र तथा श्री सोमनाथ भारती द्वारा किए गए संशोधनों को दिल्ली मुख्य योजना 2021 में उद्योग संबंधी अध्याय से संबंधित प्रस्तावित संशोधन के बारे में एजेंडा मद सं. 76/2019 के संबंध में तालिका 7.3 के अंतर्गत निम्नलिखित परिशिष्ट सहित पुष्टि की गई - जैसा कि रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा सुझाव दिया गया था:
"एफ.ए.आर. # अतिरिक्त एफएआर प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय होंगे।"

ii) दिनांक 17.09.2019 को हुई प्राधिकरण की बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

Scanned with CamScanner

मद सं. 98/2019

दिनांक 13.08.2019 और 17.08.2019 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(2)2019/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण के सदस्यों ने दिनांक 13.08.2019 और 17.09.2019 को हुई प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की :

श्री विजेंद्र गुप्ता

i) बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आबंटित भूमि के संबंध में कोर्ट के सभी आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

ii) दि.वि.प्रा. स्वस्थाने पुनर्वास परियोजनाओं को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए और निविदाएं शीघ्र जारी की जानी चाहिए। सभी जे.जे. क्लस्टरों के लिए सर्वेक्षण किए जाने चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति बताई जाए।

श्री सोमनाथ भारती

i) मोहल्ला क्लीनिकों के लिए भूमि का आबंटन अपेक्षित नहीं है और दि.वि.प्रा. को सार्वजनिक शौचालयों के लिए पूर्व में दिए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों को प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

ii) यह गलत उल्लेख किया गया है कि गुज्जर डेयरी स्थित सामुदायिक भवन की स्थिति संतोषजनक है। प्राधिकरण के सदस्य के साथ एक संयुक्त स्थल निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

iii) गुलमोहर पार्क स्थित सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु समय-सीमा बताई जाए।

iv) दि.वि.प्रा. को मामले पर विचार करना चाहिए और खसरा संख्या 277, हौज खास के संबंध में स्थगन आदेश को शीघ्र खारिज कराया जाना चाहिए।

v) गौतम नगर में सामुदायिक सुविधाओं के स्थान की पहचान के लिए प्राधिकरण के सदस्य के साथ एक संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

vi) अर्जुन नगर स्थित दि.वि.प्रा. के प्लॉट को उसके अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाए और कुम्हार बस्ती स्थित दि.वि.प्रा. की भूमि का कुछ भाग सामुदायिक सुविधा हेतु आबंटित किया जाए।

vii) वाल्मीकि कैंप और इंदिरा कैंप का स्वस्थाने पुनर्वास प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

viii) बेगमपुर स्थित डी.एम.आर.सी. द्वारा खाली कराई गई भूमि को दि.वि.प्रा. द्वारा वापस लिया जाए।

श्री एस. के बग्गा

i) यह गलत बताया गया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में दिविप्रा पार्क के लिए किए जा रहे रखरखाव कार्य से वे संतुष्ट हैं। इसके विपरीत, इस संबंध में न ही कोई कार्य शुरू किया गया है अथवा न ही चल रहा है।

श्री ओ.पी. शर्मा

i) उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित एक स्कूल, जो रामलीला और अन्य समारोहों हेतु अनधिकृत रूप से अपने परिसर का नियमित उपयोग करने दे रहा है, की सूचना दिए जाने के बावजूद दि.वि.प्रा. ने आबंटन के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर कोई कार्रवाई नहीं की है, यद्यपि एक अन्य मामले में दि.वि.प्रा. ने पट्टा विलेख रद्द कर दिया।

ii) प्रीत विहार क्लब और ग्रेट गैट्सबी क्लब, जो अत्यधिक सदस्यता शुल्क वसूल रहे हैं, के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि एक ही व्यक्ति को तीन सांस्थनिक प्लॉट कैसे आबंटित किए गए हैं।

Scanned with CamScanner

श्री मनीष अग्रवाल

i) करबला, लोधी रोड स्थित खसरा सं. 23,26,27 और 39 की डी.डी.ए. की भूमि से सभी अनधिकृत ढांचे तत्काल हटाये जाने चाहिए।

मद सं. 99/2019

फिटनेस सेंटर (व्यायामशाला, योगा/मेडिटेशन सेंटर और स्वास्थ्य केन्द्र सहित) के संबंध में दिल्ली योजना - 2020 में प्रस्तावित संशोधन।
एफ.3(9)/2012/एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद सं. 100/2019
त्रिलोकपुरी, दिल्ली में दिविप्रा की 10.26 हेक्टेयर भूमि का विकास।
एफ.3(90)98-एम.पी./वोल्यूम.II

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव निम्नलिखित के साथ अनुमोदित किया गया:

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और प्राधिकरण के साथ नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे, जो यदि आवश्यक हुआ, तो नये समझौता ज्ञापन में बाद में कोई परिवर्तन करने के लिए उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को प्राधिकृत करेगा। हस्ताक्षर के बाद अंतिम समझौता ज्ञापन प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

मद सं. 101/2019

हाउसिंग स्कीम-2019 के अंतर्गत 'जोडे में' ऑफर किए गए एल.आई.जी. फ्लैटों का निपटान ताकि आबंटिती दो आपस में सटे हुए फ्लैटों को एक बड़े फ्लैट में समामेलित कर सकें।

एफ.1(9)/(19)/एल.आई.जी.(एच)/अमालगमेशन

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। फ्लैटों का निपटान प्रचलित ऑनलाइन योजना के माध्यम से 'पहले आएं पहले पाएं' के आधार पर किया जाएगा।

मद सं. 102/2019

समूह आवास और अन्य सभी सामाजिक -सांस्कृतिक सुविधाओं (सामाजिक -सांस्कृतिक प्लॉटों/केन्द्रों, धार्मिक प्लॉटों, वृद्धाश्रमों, सुधार गृहों, अनाथालय अथवा व्यक्तियों लोगों के समूह, फर्मों, कंपनियों के लिए जैसा मुख्य योजना में अनुबंधित है) के लिए नीलामी /ई-नीलामी के माध्यम से भूमि के आबंटन के संबंध में नजूल नियम 1981 (नियम-4) में संशोधन।

एफ.1(मिस.)2019/जी.एच./नीलामी/नजूल नियम

एजेंडा पर चर्चा की गई। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने बैठक के दौरान बताया कि प्राधिकरण ने पहले समूह आवास, वृद्धाश्रम, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक प्लॉटों की श्रेणी में नीलामी द्वारा प्लॉटों के निपटान को अनुमोदित किया है। इसके अलावा, प्लॉटों की अन्य कई श्रेणियाँ हैं। यह निर्णय लिया गया कि नजूल नियमों में संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसी भी श्रेणी की भूमि के लिए नीलामी के माध्यम से निपटान की पद्धति को अनुमति दी जानी चाहिए।

Scanned with CamScanner

तदनुसार, एजेंडा अनुमोदित किया गया। नजूल नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को तदनुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाए। दि.वि.प्रा. अनुमोदित नीलामी की प्रक्रिया हेतु आगे कार्रवाही कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो कानूनी राय भी ली जा सकती है।

मद सं. 103/2019

सेक्टर-10, द्वारका स्थित एल.एस.जी. संख्या 02 के अंदर स्थानीय/सरकारी रखरखाव कार्यालय के रूप में दि.वि.प्रा. द्वारका जोनल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु4494.58 वर्ग मी. प्लॉट के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 के उपखंड 8(2) के अंतर्गत 'आवासीय' उपयोग जोन में 'स्थानीय/सरकारी रखरखाव कार्यालय' हेतु अनुमेयता।

एफ.115/एस.ए.(द्वारका)/एच.यू.पी.डब्ल्यू./2019/डी.डी.ए.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं. 104/2019

निम्नलिखित में प्रस्तावित संशोधन:

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण (पेंशन) संशोधन नियम, 1978

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण (आचरण, अनुशासनात्मक और अपील) विनियम, 1999

एफ.1(मिस.)2012/विज./डी.वी.ओ.-I

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य बिंदु'

श्री विजेन्द्र गुप्ता

i) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के पेड़ो को हटाने के लिए शीघ्र अनुमति देने के लिए कहा गया, जिसके कारण नरेला-बवाना में यू-ईआर-I और II को जोड़ने वाले फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य छह महीनें से अधिक समय से रूका हुआ था।

ii) सेक्टर-7, रोहिणी में उत्सव ग्रांउड विकसित किया जाए।

Scanned with CamScanner

श्री सोमनाथ भारती

i) यद्यपि मुख्य योजना में संशोधनों को अनुमोदन दे दिया गया है, लेकिन इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप कई सम्पत्तियां अभी तक सील है, उदाहरण के लिए छतरपुर में संगमरमर की दुकानें।

ii) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उत्सव ग्रांउड के लिए भूमि को अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है।

श्री ओ.पी शर्मा

i) दि.वि.प्रा. को विश्वास नगर में 60 फीट चौड़ी रोड़ के मार्गाधिकार में 5-6 पक्के अनधिकृत ढांचों को हटाने के कार्य को मिलकर करना चाहिए।

ii) शांति स्वरूप भटनागर मार्ग पर सभी अनधिकृत ढांचों को हटाया जाए।

iii) दि.वि.प्रा. को दिल्ली में प्राकृतिक झीलों के पुनरूद्धार पर विचार करना चाहिए।

माननीय उपराज्यपाल ने सभी सदस्यों, विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई।

****

Scanned with CamScanner